भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2973
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि भूमि में हो रही कमी

2973. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या देश में कृषि भूमि के क्षेत्र में वर्ष-दर-वर्ष कमी आ रही है;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार का बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ङ): भूमि और कृषि राज्य के विषय हैं। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार, भूमि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है और राज्य कृषि योग्य क्षेत्र बढ़ाने और कृषि भूमि का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, भारत सरकार नीतिगत पहलों और बजटीय सहायता के माध्यम से इन प्रयासों का समर्थन करती है।

नवीनतम वार्षिक प्रकाशन "भू-उपयोग सांख्यिकी - एक झलक 2023-24" के अनुसार, देश में कृषि भूमि का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, जो देश भर में सतत कृषि क्षमता को दर्शाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने और प्रभावी नीतिगत प्रयासों से फसल सघनता में भी निरंतर सुधार हुआ है, जो 2013-14 में 142.5% से बढ़कर 2023-24 में 156.8% हो गई है। यह बहु-फसली खेती की ओर सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है, जो किसानों की एक ही भूमि पर प्रतिवर्ष एक से अधिक बार खेती करने की बढ़ी हुई क्षमता को दर्शाती है। वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान देश में कृषि क्षेत्र का विवरण क्रमशः 180112, 179982 और 179596 हजार हेक्टेयर है।

भूमि संसाधन विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा सिंचित/क्षरित भूमि का विकास करना है। इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में रिज एरिया ट्रीटमेंट, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, मिट्टी एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी संवर्धन, चारागाह विकास, संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत किए गए उपाय कृषि योग्य क्षेत्र बढ़ाने के सरकारी प्रयासों का समर्थन करते हैं। सरकार द्वारा 15 दिसंबर, 2021 को इस योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया था।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कृषि क्षेत्र बढ़ाने के लिए कई तकनीकी उपाय विकसित किए हैं। इनमें वर्षा जल के बहाव से होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट जैव-इंजीनियरिंग, रेत के टीलों का स्थिरीकरण और विंड एरोशन को रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट तकनीक तथा देश की समस्याग्रस्त मृदा के लिए सुधार तकनीक शामिल हैं। आईसीएआर ने जिप्सम प्रौद्योगिकी पैकेज भी विकसित किया है, जिसमें भूमि समतलीकरण, बन्ड तैयार करना, फ्लशिंग, अतिरिक्त जल की निकासी, उत्तम गुणवत्तापूर्ण सिंचाई जल, संशोधनों का अनुप्रयोग, फसलों का चयन और कुशल पोषक तत्व प्रबंधन शामिल हैं।

****